संख्या-33 /2018/ 160/92-2-18-28(भवन किराया)/2015

प्रेषक,

वी0 के0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 16 फरवरी, 2018

विषय:- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के कार्यालय भवन के किराये की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-231/ग्रा0अ0वि0/बजट/भ0कि0-कानपुर/2017-18, दिनांक 18.01.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के कार्यालय हेतु कार्यालय भवन, जिसका कुल कारपेट एरिया 1248 वर्गफुट (115.94 वर्गमीटर) है, का किराया रू0 18,252.00/- प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01-02-2018 से 31.01.2021 तक की अवधि के लिए) निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-33/2018/160(1)/92-2-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद-कानपुर।
5- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर।
6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर।
7- श्री सत्या रंजन बागची, द्वारा श्री सत्येनदर कुमार सिंह, 117/338, "एल" ब्लाक, नवीन नगर, पोस्ट-काकादेव, कानपुर, यू0पी0-208025।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।